

Place: Jaipur

Sd/- Shiv Shankar Sharma (Company Secretary) ACS-43109

ANKA INDIA LIMITED

Regd. Off: 41 Shivalik Building Near Saraswati Hospital/ Telephone Exchange Old Delhi Road Gurgaon-122001;

Corp. Off: WZ-86, Galaxy Home, Todapur, New Delhi-110012;

CIN: L74900HR1994PLC033268; **Email id:** response@ankaindia.com;

Phone no: 9820069933; 0124-2322570 **website:** www.ankaindia.com

**NOTICE OF THE 24th ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company is scheduled to be held on **Saturday 29th September, 2018 at 10:00 A.M.** at **Baimiki Yuva Vikas Sabha, Near Haldi Ram, Village Kherki Daula, Gurgaon, Haryana-122001** to transact the business as set out in the AGM notice dated 25.08.2018.

The 24th Annual Report (including the notice of the AGM and the statement pursuant to Section 102 of the Companies Act) have been sent, through post/courier to those Members of the Company who have opted to receive the same in physical form or whose e-mail addresses are not registered with the DP/RTA of the Company and through electronic mode to those members, whose e-mail IDs are registered with the Company and/or DP/RTA of the Company. Members, whose names appeared in the Register of Members / Record of Depositories at the close of Business hours on **04th September, 2018** were considered as eligible for dispatch of 24th Annual Report.

In compliance with the provisions of Sec. 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided its members facility enabling them to cast their vote by electronic means on all the resolutions set out in the AGM Notice. The Board of Directors of the Company has appointed **Mr. Mohit Aggarwal (ACS Membership- 39180), Practicing Company Secretaries** as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process.

The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) to provide electronic voting facility to the Members of the Company. The remote e-voting period commences on **Wednesday, 26th September, 2018 at 9:00 A.M. and ends on Friday, 28th September, 2018 at 5:00 P.M.** During this period, members, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **21 September 2018**, only may cast their vote electronically; and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. In case a person become the member of the Company after the dispatch of AGM notice but on or before the cut-off date may write/mail to the Company's Registrar and Transfer Agent, M/s. Alankit Assignments Ltd, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 E-mail:- b.swain@alankit.com for obtaining credentials for remote e-voting. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote. The facility for voting through ballot shall be made available at the AGM. The members attending the AGM who have not cast their vote by e-voting are entitled to vote at the AGM through ballot. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

The Annual Report including the AGM notice, is available on the Company's website www.ankaindia.com and available for inspection by the members at the Registered & Corporate Office of the Company during business hours on all working days (Except Saturdays and Sundays) between **9:00 A.M. to 5:30 P.M.**, till the conclusion of the AGM. A copy of the Notice is also available on CDSL's website at www.evotingindia.com.

For electronic voting instructions, shareholders may refer the instructions in the AGM Notice and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting Manual for shareholders available at www.evotingindia.com or contact Ms. PRACHI GOPAL KADAKIA, Company Secretary at 41 Shivalik Building Near Saraswati Hospital/ Telephone Exchange Old Delhi Road Gurgaon-122001, Tel. No. 0124-2322570, Email ID response@ankaindia.com.

The result of e-voting shall be announced on or after **29th September, 2018 but not later than 01st October, 2018**. The e-voting result and the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website www.ankaindia.com and CDSL's website www.evotingindia.com for the purpose of informing the members, besides being communicated to BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 22nd Day of September, 2018 to Saturday 29th day of September, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of AGM of the Company.

FOR ANKA INDIA LTD
SD/-

PRACHI GOPAL KADAKIA
COMPANY SECRETARY

PLACE : GURGAON
DATED : 05.09.2018

Name of Sanstha -

(Formerly with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the business as conducted by the Company is pleased to provide remote e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to the members of the Company. The details, in this regard are given herein below:-

through electronic voting system through CDSL.

Day, September 24, 2018 (9.00 a.m.)

September 26, 2018 (5:00 p.m.)

allowed beyond 5.00 p.m. on **Wednesday, the**

their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut off date only shall be entitled to vote in the AGM.

Thursday, the September 20, 2018. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

St After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

RAG After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

P After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

Whereas After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

Financing After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

read with After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

Borrowing After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

Sh. Sa After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

hundreds After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

The Board After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

under the After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

of the After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

The Board After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

or be After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

subscribed After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

hundred After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

By order of the Board After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

FOR THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

PROPER After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

Roshan After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

Date: After the despatch of notice but before the cut off date, a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

**PROPERTY OFFICER - I
TRIBUNAL-I, DELHI**

10, Patel Chowk, New Delhi-110001

on

/s Alloy Corporation

NOTICE UNDER SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1951
(54 of AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1951)
2002-03, Irfan, 16, Community Centre, East of Kailash, New Delhi-110016

herein failed Delhi. under 13(4) 2015 drawn by the Presiding Officer, Debts Recovery Commission, w.e.f. 07.2.2014 20.1.2011 from the Certificate debtors subject

Branch the Schedule below in satisfaction of the said certificate. with @ 15.5% p.a. w.e.f. 07.2.2014 20.1.2011 from the

Sectionaid property shall be sold by e-auction and bidding shall be held on www.auctions.com on 12.10.2018 between 03.00 pm and

the schedule below and the liabilities and claims attaching to the schedule against each lot.

If the amount to be realized is satisfied by the sale of a remainder. The sale also be stopped if, before any lot is sold, the amount of the sale (including cost of the sale) are tendered to the officer in charge of the certificate, interest and costs have been paid to the

Date the schedule below in satisfaction of the said certificate. with @ 15.5% p.a. w.e.f. 07.2.2014 20.1.2011 from the

and, however, either directly or indirectly bid for, acquire or

under the Income Tax Act, 1961 and the rules made thereunder, the schedule below have been stated to the best of the knowledge and belief of the undersigned, and no error, mis-statement or omission in this proclamation.

and the Earnest Money Deposit (EMD) is Rs. 15.80

Sale of the property shall be sold by e-auction and bidding shall be held on www.auctions.com on 12.10.2018 between 03.00 pm and

Ass the schedule below and the liabilities and claims attaching to the schedule against each lot.

If the amount to be realized is satisfied by the sale of a remainder. The sale also be stopped if, before any lot is sold, the amount of the sale (including cost of the sale) are tendered to the officer in charge of the certificate, interest and costs have been paid to the

BA the schedule below in satisfaction of the said certificate. with @ 15.5% p.a. w.e.f. 07.2.2014 20.1.2011 from the

गान हसराज (56) और सदाप जगपाल (24) ठा पुलिस को दोनों घटना स्थलों पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मृतकों के परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, संदीप अगवाल परिजनों के साथ गली नंबर- नौ, शहीद अगत सिंह कॉलोनी, में रहता था। परिवार में पिता रमेश चंद, मां और एक भाई है। वह पटरी पर मोबाइल स्पेयर पार्ट्स बेचने का काम करता था। परिजनों ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब सात बजे टंकी की पाइप के सहारे उसने रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संदीप पर करावल नगर इलाके में चोरी का मुकदमा दर्ज है। बृहस्पतिवार को उसकी कड़कड़मा कोर्ट में पेशी थी। आंशका जताई जा रही है कि इसी के चलते उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दूसरा मामला जाफराबाद का है। यहां हसराज मौजपुर में परिजनों के साथ रहते थे। परिवार में एक बेटा है। परिजनों ने बताया कि दोनों बेटियों की शादी के बाद से वह अकेलापन महसूस करने लगे थे। करीब तीन माह पहले उनका बेटा भी उनसे अलग रहने लगा। इसके चलते वह परेशान रहने लगे और बुधवार उन्होंने पंखे से रस्सी बांधकर अपनी जान दे दी।

रुपये नहीं मिलने पर ठेकेदार ने दी जान

नई दिल्ली। त्रिगगर में एक कंपनी के ठेकेदार ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक का नाम राम मेहतो है। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। इसमें युवक ने लिखा है कि उसका मालिक उसे समय पर रुपये नहीं दे रहा था। इसके चलते उसने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। डीसीपी (जोध देस्ट) असलम खान ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि राम मेहतो पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं। पुलिस ने उसे तुरंत नीचे उतारा और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

महिला समेत तीन लोग

जॉब दिलाने के



हरिभूमि न्यूज ► नई दिल्ली

सब्जी मंडी पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जोकि जॉब दिलाने के बहाने लोगों के साथ ठगी करता था। पुलिस ने इस गैंग में एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एक नाबालिग को हिरसात लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारी की माने तो आरोपी कभी मसाज सेंटर, तो कभी दवाई भेजने के नाम पर, तो कभी जन्मपत्री और कभी धार्मिक सामग्री भेजने के नाम पर लोगों से ठगी

क
फ
ग
र
सी
को
गिर
से
आ
थे
ग्रा
इ
आ
म
अ
गि
से
बा
उ
घ
ल
वि
म
ने
य
प
24
म
ग
अ
म
रि
ज्य
व
ह
ह
कृ
पि
हे
तु
उ
क
रि
क्षा
रहे
पूर्
ण
य
उ
च
लिये
है।
वे
दन
की
लाने
करते
और
साइट
मोबाइ
डीसी
अगस्
चसर
मंडी
शिका
ओं में
उसके
बताय
लेकि
चेच
रजिस्
योग,
पेटी
कूला
करने
दिये।
उसके

Company will remain closed from Saturday, 22nd September, 2018 to Saturday 29th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the Shareholders at the Annual General Meeting.

For Sharika Enterprises Limited
Sd/-
Rajinder Kaul
Managing Director

ANKA INDIA LIMITED
Regd. Off: 41 Shivalik Building Near Saraswati Hospital/ Telephone Exchange Old Delhi Road Gurgaon-122001;
Corp. Off. WZ-86, Galaxy Home, Todapur, New Delhi-110012;
CIN: L74900HR1994PLC033268; Email id: response@ankaindia.com;
Phone no: 9820069933; 0124-2322570 website: www.ankaindia.com

NOTICE OF THE 24th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company is scheduled to be held on **Saturday 29th September, 2018 at 10:00 A.M. at Balmiki Yuva Vikas Sabha ,Near Haldi Ram ,Village Kherki Daula, Gurgaon, Haryana-122001** to transact the business as set out in the AGM notice dated 25.08.2018.

The 24th Annual Report (including the notice of the AGM and the statement pursuant to Section 102 of the Companies Act) have been sent, through post/courier to those Members of the Company who have opted to receive the same in physical form or whose e-mail addresses are not registered with the DP/RTA of the Company and through electronic mode to those members, whose e-mail IDs are registered with the Company and/or DP/RTA of the Company. Members, whose names appeared in the Register of Members / Record of Depositories at the close of Business hours on **04th September, 2018** were considered as eligible for dispatch of 24th Annual Report.

In compliance with the provisions of Sec. 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided its members facility enabling them to cast their vote by electronic means on all the resolutions set out in the AGM Notice. The Board of Directors of the Company has appointed **Mr. Mohit Aggarwal (ACS Membership- 39180), Practicing Company Secretaries** as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process.

The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) to provide electronic voting facility to the Members of the Company. The remote e-voting period commences on **Wednesday, 26th September, 2018 at 9:00 A.M. and ends on Friday, 28th September, 2018 at 5:00 P.M.** During this period, members, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **21 September 2018**, may only cast their vote electronically; and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners, maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. In case a person become the member of the Company after the dispatch of AGM notice but on or before the cut-off date may write/mail to the Company's Registrar and Transfer Agent, M/s. Alankit Assignments Ltd. 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 E-mail:- b.swain@alankit.com for obtaining credentials for remote e-voting. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote. The facility for voting through ballot shall be made available at the AGM. The members attending the AGM who have not cast their vote by e-voting are entitled to vote at the AGM through ballot. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

The Annual Report including the AGM notice, is available on the Company's website www.ankaindia.com and available for inspection by the members at the Registered & Corporate Office of the Company during business hours on all working days (Except Saturdays and Sundays) between **9:00 A.M. to 5:30 P.M.**, till the conclusion of the AGM. A copy of the Notice is also available on CDSL's website at www.evotingindia.com.

For electronic voting instructions, shareholders may refer the instructions in the AGM Notice and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting Manual for shareholders available at www.evotingindia.com or contact Ms. PRACHI GOPAL KADAKIA, Company Secretary at 41 Shivalik Building Near Saraswati Hospital/ Telephone Exchange Old Delhi Road Gurgaon-122001, Tel. No. 0124-2322570, Email ID response@ankaindia.com.

The result of e-voting shall be announced on or after **29th September, 2018 but not later than 01st October, 2018**. The e-voting result and the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website www.ankaindia.com and CDSL's website www.evotingindia.com for the purpose of informing the members, besides being communicated to BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 22nd Day of September, 2018 to Saturday 29th Day of September, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of AGM of the Company.

FOR ANKA INDIA LTD
SD/-
PRACHI GOPAL KADAKIA
COMPANY SECRETARY

PLACE : GURGAON
DATED : 05.09.2018

खबर संक्षेप

सड़क हादसे में युवक की मौत

नई दिल्ली। सीलमपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक का नाम संदीप शर्मा (26) है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले दर्ज कर ट्रक और ट्रक चालक की तलाश कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, संदीप सड़क संयोजकों की भीड़, नोएडा सेक्टर-46 में परिजनों के साथ रहता था। परिवार में पिता, मां, भाई और तीन बहनें हैं। वह महाजुग मॉल में रेस्तरां की नौकरी करता था। परिजनों ने बताया कि बृहस्पतिवार रात संदीप ऑफिस से अपने दोस्त संजय को बाइक से उसके घर छोड़ने के लिए सुभाष पार्क, सीलमपुर गया था। जैसे ही वह सीलमपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंचा तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, संदीप के दोस्त संजय ने बताया कि घटना के दौरान संजय भी बाइक पर था उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है और उसका नंबर भी बंद जा रहा है।

फायरिंग और शराब तस्करी का आरोपी अरेस्ट

नई दिल्ली। छवला के फायरिंग और शराब तस्करी के मामलों में शामिल रहे हरिष नामक बदमाश को क्राइम बांच ने गिरफ्तार किया है। कुछ समय पहले एक्सहाइज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा रोकें जाने पर आरोपी शराब से भरी कोरोला कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। इसके खिलाफ छवला थाने में केस दर्ज था। 31 जुलाई की रात करीब साढ़े 10 बजे हरिष ने अपने साथी आनंद के साथ छवला के अपने वर्ल्ड कायम रखने के मकसद से धर्मपाल नामक शराब के घर के बाहर फायरिंग भी की थी। आईएससी की टीम ने एक सूचना के आधार पर सोनीपत जिले के खरखोदा क़िदौली गांव से इसे गिरफ्तार किया है।

कटारा की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने विकास यादव को फर्लों देने से किया इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा काट रहे विकास यादव को फर्लों देने से इनकार किए जाने के अपने फैसले न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनोन और न्यायमूर्ति जी के राव की पीठ ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि पहले राज्य सरकार और बाद में एकल न्यायाधीश ने जो जुलाई को यादव की याचिका को उसके आचरण के आधार पर खारिज किया था। पीठ ने कहा कि हम मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। अबलात ने यादव से कहा कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं रहा। फर्लों के लिए तुम्हारा आगह तुम्हारे आचरण के आधार पर खारिज किया गया। इसने कहा कि वह नौ जुलाई के आदेश के खिलाफ यादव की अपील पर बाद में फैसला करेगी। मामले 16-17 फरवरी 2000 की मध्यरात्रि का है जब विकास को यादव की हत्या में उभरते हुए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नेता जी पी यादव को पुत्री भारती के साथ कथित प्रेम संबंधों के चलते एक विवाह समारोह से कटारा का अपहरण कर लिया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। निवृत्ती अदालत में अर्पा फैसले में कहा था कि कटारा की हत्या इसलिए की गई क्योंकि भारती के साथ कटारा के संबंधों से विवाह और विकास खुश नहीं थे क्योंकि वे अलग-अलग जातियों से थे। विकास यादव के वकील ने शुक्रवार को अदालत में कहा कि उनका न्यायिक जेल में पहले ही 16 साल गुजर चुका है और जेल नियमों को तोड़ने के मामले में उसे भार बढ़ा दिया गया है। फीजदारी मामलों के अतिरिक्त स्थानीय विधिवक्ता राजेश महाजन ने इसका विरोध किया और कहा कि यादव फर्लों के लिए योग्य नहीं है क्योंकि उसने जामिनी तौर पर अच्छे आचरण के आवश्यक तीन मापदंड हासिल नहीं किए हैं।

शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव

राजधानी में झमाझम बारिश यातायात के लिए बनी समस्या

एनडी नई दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई जिससे दिल्ली वालों को उमस से राहत मिली। लेकिन शहर के बड़े चौराहों में जाम की समस्या भारी बारिश के कारण लोगों को उमस से राहत मिली है, जबकि शहर के कई हिस्सों से जलभराव हुआ है। उत्तर पूर्व दिल्ली में वजीरआबाद रोड़, भजनपुरा मेन रोड़ और खजुरी चौक पर यातायात प्रभावित हुआ। बाहरी इलाकों में भी जलभराव की समस्या देखने को मिली। ओरड गुरुग्रा राड से राव माता दीन मार्ग क्रासिंग के बीच, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में फन एंड फेड विलेज, राजापुरी चौक



और पश्चिमी दिल्ली में पालम फ्लाईओवर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि 17 उड़ानों के मार्ग परिवर्तित किये गये। अधिकतर उड़ानों का मार्ग परिवर्तन दोपहर 3.20 से 4.30 बजे के बीच किया

शास्त्री पार्क: जान दे दी पर पीड़ित को लूटने से बचा लिया


बीच-बचाव करने आये युवक की गला रेतकर हत्या

हरिभूमि न्यूज़ ►► नई दिल्ली

राजधानी में बदमाशों के हौंसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह दिनदहाड़े किसी की हत्या करने से नहीं चुकते हैं। न्यू उस्मानपुर में एक युवक के साथ लूटपाट कर रहे बदमाशों को दूसरे युवक ने रोक तो लिया लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल शुक्रवार तड़के शास्त्री पार्क रैड लाइट के पास एक बदमाश वरुण नामक एक युवक के साथ लूटपाट कर रहा था। इसी दौरान एक ऑटो में वससीम (30) अपने मामा व भाई के साथ कश्मीरी गेट से घर लौट रहा था। उसने देखा कि एक बदमाश एक युवक के साथ लूटपाट कर रहा है। इस पर वससीम उसे बचाने के लिए ऑटो से बाहर आ गया। इससे पहले वससीम कुछ समझ पाता बदमाश ने उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया और मौके से फरार हो गया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना स्थल पर लग सीसीटीवी फुटेज खंगाल बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जानकारी के

मुताबिक, वससीम विजय विहार, लोनी में निवास करते हैं। वह मूलरूप से मिथा कॉलोनी, मुरादाबाद में रहता था। परिवार में पत्नी मन्दीरा, दो बेटियां सदाब (2) और रिजा (5), दो भाई नदीम और सहाम है। वह एक ट्रेवल एजेंसी में बतौर

कंडक्टर था। परिजनों ने बताया कि वह शुक्रवार सुबह करीब चार बजे कश्मीरी गेट से ऑटो लेकर अपने मामा मुस्तफिक और भाई शाकिब के साथ ऑटो से घर जा रहा था। जैसे ही वह शास्त्री पार्क रैड लाइट के पास पहुंचे तभी एक युवक



भूतक वससीम: फाइंड फोटो

कंडक्टर था। परिजनों ने बताया कि वह शुक्रवार सुबह करीब चार बजे कश्मीरी गेट से ऑटो लेकर अपने मामा मुस्तफिक और भाई शाकिब के साथ ऑटो से घर जा रहा था। जैसे ही वह शास्त्री पार्क रैड लाइट के पास पहुंचे तभी एक युवक

ऑटो के सामने आया और हाथ जोड़कर उनसे मदद मांगने लगा। इस पर ऑटो चालक उसे अपने ऑटो में बैठाने लगा। इस पर बदमाश ने उसे नीचे उतारने के लिए कहा और सभी को जाने के लिए कहने लगा। यह देखते हुए वससीम ऑटो से नीचे उतरकर बदमाश से बात करने लगा। बात करते-करते बदमाश ने वससीम की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया।

ऑटो में नहीं बैठने दे रहा था बदमाश

वरुण ने बताया कि वह शुक्रवार तड़के पंजाब से बस में दिल्ली आया था। इस दौरान वह शास्त्री पार्क रैड लाइट के पास उतरा। उतरते ही एक स्मैकिया उसके पीछे लग गया और छीना-झपटी करने लगा। खुद को अकेला पाकर उसने मदद के लिए वहां से गुजर रहे ऑटो वालों से मदद मांगी। इसी दौरान एक ऑटो उसकी मदद के लिए रुका और उसे ऑटो में बिठाने लगा लेकिन आरोपी इसका विरोध करने लगा। इस पर वससीम नीचे उतरा और उसने कहा कि ये ऑटो में क्यों नहीं बैठेगा तो आरोपी ने अपने गिराने के पास से चाकू निकालकर उसकी गर्दन में घोंप दिया।

ऑन डिमांड गाड़ियां चोरी करने वाले सलीम गैंग का पर्दाफाश

पुलिस ने गैंग के सरगना समेत चार को दबोचा, गिरफ्तारी के बाद 35 मामले सुलझाने का किया दावा

हरिभूमि न्यूज़ ►► नई दिल्ली

आउटर जिले के स्पेशल स्टाफ ने सलीम गैंग के ऑटो लिफ्टरों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के सरगना समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम सलीम (23), नौशाद (25), शार्ग (26) और शाह आलम (22) है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह गैंग ऑन डिमांड गाड़ियां चोरी करता था। पुलिस ने इनके पास से 35 गाड़ियां बरामद की हैं।

इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस 35 मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी (आउटर) सेजु पी कुर्बला ने बताया कि इलाके में लगातार ही रही वाहनों की चोरी को ध्यान में रखते हुए चोरों को धर-पकड़ के लिए एक अभियान चलाया गया। इसी दौरान बृहस्पतिवार को स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली कि सलीम गैंग के ऑटो लिफ्टर



के चार-पांच कुख्यात बदमाश भाग्य विहार से सुल्तानपुरी होते हुए सीलमपुर में ऑटो से जाएंगे। सूचना मिलते ही एसीपी दिनेश कुमार की देखरेख में एक टीम का गठन किया। टीम

टीम ने सुल्तानपुरी बस टर्मिनल के पास पिकेट लगाकर वाहनों की चैकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान दोपहर 2:20 बजे एक ऑटो अमन विहार से सुल्तानपुरी बस टर्मिनल की तरफ आया। ऑटो के आते ही टीम ने वैरिकेडस लगाकर ऑटो को रोक लिया। इसी दौरान ऑटो में सवार सभी पैर्सनर मौके से भागने लगे लेकिन पुलिस टीम ने मौके पर ही सभी लोगों को दबोच लिया। जांच करने पर पुलिस ने देखा कि श्री वीलर में तीन बाइक लोड की हुई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी तीन बाइक के कागजात नहीं दिखा सके और एक दूसरे को देखने लगे। कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने इन बाइक को विष्णु गार्डन से चुराया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अभी तक दिल्ली में अलग-अलग जगहों से वाहन चोरी किये हैं।

झाड़ियों में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

नई दिल्ली। अलीपुर में जीटी रोड पर बकोली क्रासिंग के पास एक व्यक्ति का शव झाड़ियों में मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को व्यक्ति के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले है जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह राहगीरों ने शव को देख इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान हैं। प्रारंभिक स्तर पर पुलिस मान कर चल रही है कि व्यक्ति की गोली मारा कर हत्या की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि हो सकता है युवक की कहीं और हत्या की गई हो और आरोपियों ने बाद में सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए हों।

डीसीडब्ल्यू की मदद से अवैध शराब के अड्डे का भंडाफोड़

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के हस्तक्षेप के बाद रोहिणी क्षेत्र में एक घर में अवैध शराब के अड्डे का पर्दाफाश हुआ है। डीसीडब्ल्यू में शिकायत मिली थी कि विजय विहार फेज-2, रोहिणी में एक घर में बड़े पैमाने पर अवैध शराब खुलेआम बेची जाती है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीसीडब्ल्यू ने मामले को दिल्ली पुलिस और आबकारी विभाग को भेज दिया। आबकारी विभाग की एक टीम घटना स्थल पर जांच के लिए भेजी गयी और जांच के दौरान टीम को वहां अवैध शराब के एक बड़े रैकेट की जानकारी मिली। अभियुक्तों की पहचान की गयी और उसके घर पर छापा मारा गया। छापे के दौरान अभियुक्त के घर से देशी शराब की कई बोतलें बरामद की गईं। एक आदमी और उसकी पत्नी को घटना स्थल से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में विजय विहार थाने में एक एफआईआर दर्ज की गयी है। जांच के दौरान एक चौकाने वाली बात सामने आयी, अभियुक्त आदमी के ऊपर आबकारी कानून के तहत पहले से ही 46 मामले और उसकी पत्नी के ऊपर 21 मामले दर्ज थे।

शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव

राजधानी में झमाझम बारिश यातायात के लिए बनी समस्या

एनडी नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई जिससे दिल्ली वालों को उमस से राहत मिली। लेकिन शहर के बड़े चौराहों में जाम की समस्या भारी बारिश के कारण लोगों को उमस से राहत मिली है, जबकि शहर के कई हिस्सों से जलभराव हुआ है। उत्तर पूर्व दिल्ली में वजीरआबाद रोड़, भजनपुरा मेन रोड़ और खजुरी चौक पर यातायात प्रभावित हुआ। बाहरी इलाकों में भी जलभराव की समस्या देखने को मिली। ओरड गुरुग्रा राड से राव माता दीन मार्ग क्रासिंग के बीच, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में फन एंड फेड विलेज, राजापुरी चौक

और पश्चिमी दिल्ली में पालम फ्लाईओवर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि 17 उड़ानों के मार्ग परिवर्तित किये गये। अधिकतर उड़ानों का मार्ग परिवर्तन दोपहर 3.20 से 4.30 बजे के बीच किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आद्रेटा 60 फीसदी दर्ज की गयी। न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत से कम है। मौसम विज्ञानियों ने आज शहर के कई स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है।

सूर्या इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : बी-1/एच-3, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मुम्बरा रोड, नई दिल्ली-44
 टेल: +91 11 45204115; फ़ा़ख: +91 11 28898016; ईमेल: cs@haldiram.com; CIN: L74900HR1994PLC033268
 वार्षिक सामान्य बैठक, नुक क्लोजर

और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में विनिरिडिटे अनुसार विनिरिडिटे का सम्पादन करने के लिये कम्पनी को 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 को पूर्ण 10.00 बजे से 15.00 बजे तक, नई दिल्ली-110016 में आयोजित की जाएगी। विनिरिडिटे सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर और ई-मेल द्वारा भी भेज दी गई है। विनिरिडिटे ई-मेल पते कम्पनी अथवा सम्मन्वित डिवाइजरी के पास पंजीकृत हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमों 2015 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमों 2015 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमों 2015 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमों 2015 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमों 2015 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

अंका इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 41, शिवायलिक बिल्डिंग, निकट सरस्वती हॉस्पिटल / टेलीफोन एक्सचेंज, ओरड विलेज रोड, गुडगांव-122001
 कॉर्पोरेट कार्यालय : डब्ल्यू 38-86, गैलक्सी हिल्स, टोडापुरा, नई दिल्ली-110012
 CIN: L74900HR1994PLC033268; Email id: response@ankaindia.com; Phone no: 9820069933; 0124-2322570 website: www.ankaindia.com

24वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग सूचना और नुक क्लोजर की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 25.08.2018 की एजीएम की सूचना में विनिरिडिटे अनुसार विनिरिडिटे का सम्पादन करने के लिये कम्पनी की 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 को पूर्ण 10.00 बजे तक, नई दिल्ली-110016 में आयोजित की जाएगी। विनिरिडिटे सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर और ई-मेल द्वारा भी भेज दी गई है। विनिरिडिटे ई-मेल पते कम्पनी अथवा सम्मन्वित डिवाइजरी के पास पंजीकृत हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमों 2015 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमों 2015 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमों 2015 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

दिनांक : 06.09.2018
 स्थान : नई दिल्ली
 कृते सूचाई इंडिया लिमिटेड हस्ता/-(निवेश प्रोक्टर) कम्पनी सचिव एम.नं. एफ 7542

पार्क में शरख्स की चाकू से गोदकर हत्या



पुलिस हत्यारों का सुराग तलाशने में जुटी

नई दिल्ली। पश्चिमी जिले के तिलक नगर इलाके में एक पार्क के भीतर गुरुवार देर रात एक शरख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मुतक का नाम अतुल कपूर (45) पता चला है। हत्यारे कौन लोग थे इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस फिलहाल इस केस में कोई सुराग हाथ में लगाने की बात कह रही है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। इलाके के लोग पाक की देखभाल करने के चलते उसे पार्क के प्रधान के रूप में भी जानते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम देन दयाल उपध्याय अस्पताल में करवा परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार अतुल अपने परिवार के साथ तिलक नगर 13 ब्लॉक में रहता था। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। अतुल इंसोरेस एडवाइजर थे। रात करीब साढ़े 10 बजे अतुल पार्क में बैठे थे। पार्क अतुल के घर के सामने ही बताया जाता है। वह पार्क की देखभाल करवाते थे इसलिये लोग उन्हें पार्क के प्रधान के रूप में जानते थे। बताया जा रहा है कि उन पर चाकू से हमला किया गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया कि अतुल इस वारदात के वक्त अकेले थे या बच्चे भी उनके आसपास ही थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये दौन दयाल उपध्याय अस्पताल में भिजवाया है। पुलिस जांच कर रही है कि हत्या आपसी रंजिश में की गई या फिर किसी अन्य कारण से हुई। इस वारदात के बाद अतुल का परिवार सदमे में है।

पांच करोड़ की हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार

नई दिल्ली। क्राइम बांच ने नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 500 ग्राम हेरोइन जब्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत पांच करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है। हेरोइन बरतीने से दिल्ली और एनडीआर में सलामी हेतु लाने में जुट गए थे। गिरफ्तार झरन तस्करी के नाम टीका राम और राजपाल है।

गुमशुदा की तलाश



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक महिला (फोटो में दर्शाई गई) नाम **माधुरी**, पत्नी **श्री रामु**, आयु 28 वर्ष जो दिनांक 17.08.18 को अपने घर से गुमशुदा है। इस संदर्भ में एक डीडी नं. 7-ए, दिनांक 18.08.18 को थाना तिलक नगर, नई दिल्ली में दर्ज है। इसका शारीरिक विवरण इस प्रकार है : कद : 5', रंग : सांवला, चेहरा : अण्डाकार, शरीर : साधारण, पहनावा : लाल रंग की नेट साड़ी तथा चप्पल। यदि किसी व्यक्ति को इस गुमशुदा महिला के बारे में कोई जानकारी/सूचना मिले तो निम्नलिखित पते पर सूचित करें।

थाना/स्थल थाना : तिलक नगर
 फोन: 011-24368638, 24368641 नई दिल्ली
 फैक्स: 011-24368639 फोन : 25407800, 25409290 DP7823WD/18

अंका इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 41, शिवायलिक बिल्डिंग, निकट सरस्वती हॉस्पिटल / टेलीफोन एक्सचेंज, ओरड विलेज रोड, गुडगांव-122001
 कॉर्पोरेट कार्यालय : डब्ल्यू 38-86, गैलक्सी हिल्स, टोडापुरा, नई दिल्ली-110012
 CIN: L74900HR1994PLC033268; Email id: response@ankaindia.com; Phone no: 9820069933; 0124-2322570 website: www.ankaindia.com

24वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग सूचना और नुक क्लोजर की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 25.08.2018 की एजीएम की सूचना में विनिरिडिटे अनुसार विनिरिडिटे का सम्पादन करने के लिये कम्पनी की 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 को पूर्ण 10.00 बजे तक, नई दिल्ली-110016 में आयोजित की जाएगी। विनिरिडिटे सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर और ई-मेल द्वारा भी भेज दी गई है। विनिरिडिटे ई-मेल पते कम्पनी अथवा सम्मन्वित डिवाइजरी के पास पंजीकृत हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमों 2015 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमों 2015 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमों 2015 और विनिरिडिटे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिमिटेड) अधिनियम 2013 के नियम 20 के तहत भी एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रिजिस्टर सूत्र सूत्र 22 सितम्बर 2018 से अनिवार्य 29 सितम्बर 2018 तक (दोनों दिनों मिलाकर) कम्पनी को वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेगा।

स्थान : गुडगांव
 दिनांक : 05.09.2018
 कृते अंका इंडिया लिमिटेड हस्ता/-(निवेश प्रोक्टर) कम्पनी सचिव एम.नं. एफ 7542